उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

निकट–महाराणा प्रताप स्पोटर्स कालेज, थानों रोड़, रायपुर, देहरादून।

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in mail: chayanayog@gmail.com

फोन न० 0135–2669658 फैक्स न0 0135–2672902

पत्रांकः–परीक्षा/ 51 /2020–21 दिनांकः 22 मार्च, 2021

आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन,विकल्प चयन एवं पद आवंटन की नीति के सबंध में (प्रथम संशोधन)

आयोग के द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन, विकल्प चयन एवं पद आंवटन के सम्बन्ध में जारी नीति में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम–10 एवं 11 के उप नियमों के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम ही मान्य होगा :–

क0 सं0	नियम का विवरण	स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1	नियम–10 (अभिलेख सत्यापन हेतु विस्तृत प्रक्रिया)	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है तब :– 10.2.2 यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन में दिए गये निर्धारित मानकों अथवा योग्यता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों को पूर्ण किये बिना ही सत्यापन में उपस्थित होता है, तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का या निर्धारित समय तक का अन्तिम अवसर दिया जायेगा, इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जायेगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना विशेष अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों /विभागों की वरीयता भर लें। यदि निर्धारित तिथि को वणित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वह संबंधित पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (**Provisional**) रूप से समाप्त हो जायेगा।	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के लिए निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित है तब :– 10.2.2 यदि कोई अभ्यर्थी सत्यापन के दिन विज्ञापन में दिए गये निर्धारित मानकों अथवा योग्यता सम्बन्धी आवश्यक प्रमाण पत्रों को पूर्ण किये बिना ही सत्यापन में उपस्थित होता है, तो उस अभ्यर्थी को 15 दिन का या निर्धारित समय तक का अन्तिम अवसर दिया जायेगा, इसके लिए सत्यापन टीम के द्वारा सत्यापन के दिन ही उस अभ्यर्थी को लिखित नोटिस दिया जायेगा कि संबंधित तिथि तक वे अपना विशेष अभिलेख सत्यापन टीम को उपलब्ध कराकर पदों/विभागों की वरीयता भर लें। यदि निर्धारित तिथि को वणित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस अभ्यर्थी के संबंध में यह मान लिया जायेगा कि वह संबंधित पद ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है और **सम्बन्धित अभ्यर्थी का अन्तिम रूप से अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा।**
2	उप नियम–10.3	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को एवं समय पर अनुपस्थित रहता है तो :– **10.3.1.** अभिलेख सत्यापन के दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो उसे अभिलेख सत्यापन की समाप्ति की तिथि या उससे अगले कार्य दिवस में या 15 दिन जो भी अधिक हो, सत्यापन के लिए उपस्थित होने का एक और अवसर दिया जायेगा। यदि उस तिथि को भी वह अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है, तो उसका अभ्यर्थन अनन्तिम (**Provisional**) रूप से समाप्त हो जायेगा।	यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को एवं समय पर अनुपस्थित रहता है तो :– **10.3.1.** अभिलेख सत्यापन के दिनांक को कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है, तो उसे अभिलेख सत्यापन की समाप्ति की तिथि या उससे अगले कार्य दिवस **से अधिकतम 15 दिन का अतिरिक्त समय सत्यापन के लिए उपस्थित होने हेतु एक और अवसर दिया जायेगा।** यदि उस तिथि को भी वह अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होता है, तो **सम्बन्धित अभ्यर्थी को दो बार अवसर दिए जाने के उपरान्त भी उपस्थित न होने अथवा उनके द्वारा कोई लिखित सकारण/सप्रमाण पत्र आयोग को उपलब्ध न कराए जाने की दशा में**

			सम्बन्धित अभ्यर्थी का अन्तिम रूप से अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जायेगा। इन रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन होने हेतु आंमत्रित किया जायेगा। 103.1(A) (नवीन) अनुपस्थित अभ्यर्थी को पुनः अन्तिम अवसर दिए जाने की स्थिति में आयोग के द्वारा सम्बन्धित अभ्यर्थी को उनके द्वारा आवेदन पत्र में दिए गये स्थाई पते (परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रक्रिया में समय लगने के कारण अभ्यर्थी के पत्र व्यवहार पते में परिवर्तन होने के दृष्टिगत) पर उसकी सूचना डाक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी साथ ही अभ्यर्थी के पंजीकृत ई–मेल आई0डी0 पर भी उसकी सूचना प्रेषित की जायेगा। सम्बन्धित अभ्यर्थी को आयोग के कार्मिकों के द्वारा भी उनके आवेदन पत्र में दिए गये दूरभाष नम्बरों पर फोन भी किया जायेगा, जिसे फोन करने वाले आयोग कार्मिक के द्वारा सम्बन्धित पद कोड की पत्रावली में अभ्यर्थी से वार्ता होने अथवा या फोन रिसीव होने/ न होने आदि की टिप्पणी भी अंकित की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आयोग के द्वारा अभिलेख सत्यापन से सम्बन्धित दिए जाने वाले नोटिस एवं जारी सूचना को आयोग की वैबसाइट में एक विशेष आयकन के माध्यम से प्रदर्शित की जायेगी, जिससे अभ्यर्थी वैबसाइट के माध्यम से भी सूचित हो सके।
3	उप नियम–10.4	10.4 यदि किन्ही विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण (हास्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कहीं अन्यत्र जमा होना आदि) अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण/सकारण अनुरोध पत्र देगा, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।	10.4 यदि किन्ही विशिष्ट व अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण (हास्पिटलाइजेशन या मूल प्रमाण पत्र कहीं अन्यत्र जमा होना आदि) अभ्यर्थी को प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन के अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तब वह सचिव को इस आशय का लिखित व सप्रमाण/सकारण अनुरोध पत्र देगा, जिस पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा। परन्तु यह कि आयोग के द्वारा लिए गये निर्णय के आधार पर सम्बन्धित अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि व समय पर अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

4	**नियम–11 अन्तिम आंवटन**	**11.1 प्रस्तर–10.2.2 एवं प्रस्तर–10.3.1** में जिन अभ्यर्थियों को अभ्यर्थन अनन्तिम **(Provisional)** रूप से निरस्त किया गया है। उनको छोड़कर मैरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को पद/विभाग/ जनपद/मण्डल आंवटन किया जायेगा।	**11.1 प्रस्तर–10.2.2 एवं प्रस्तर–10.3.1 में** जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन **अन्तिम रूप से निरस्त किया गया है**, उनको छोड़कर मैरिट सूची के अनुसार अन्य अभ्यर्थियों को पद/विभाग/ जनपद/ मण्डल आंवटन किया जायेगा। **परन्तु यह कि इन रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन होने हेतु आंमत्रित किया जायेगा।**
5		**11.2– प्रस्तर–10.2 एवं प्रस्तर–10.3.1** में जिन अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन अनन्तिम **(Provisional)** रूप से निरस्त किया गया है। उनको 15 दिन के अन्दर एक नोटिस दिया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने पर प्रस्तर–11.1 द्वारा आंवटन होने के कारण उन्हें अवशेष पदों पर ही विकल्प भरने का अवसर प्राप्त होगा। अनुपस्थित होने पर यह माना जायेगा कि अभ्यर्थी इन पदों पर कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है और अन्तिम रूप से उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन रिक्तियों के सापेक्ष वरिष्ठता सूची में अन्य अभ्यर्थियों को विकल्प चयन होने हेतु आंमत्रित किया जायेगा।	**11.2– विलुप्त**

(सन्तोष बडोनी)
सचिव